

मानव तस्करी बनाम स्मगलिंग

मानव तस्करी को इस रूप में परिभाषित किया जाता है:

- सक्स मानव तस्करी जिसमें ज़बरदस्ती, धोखाधड़ी, या बल प्रयोग से कारोबारी सक्स का कोई काम करवाया जाता है, या जिसमें ऐस काम करवाए जान वाल व्यक्ति की आय **18** वर्ष नहीं होती है; या
- किसी व्यक्ति को अस्वच्छिक पराधीनता, चाकरी, ऋण बंधन मज़दूरी या गलामी करवाने के उद्देश्य से ज़बरदस्ती, धोखाधड़ी, या बल प्रयोग के माध्यम से श्रम या सेवाओं के लिए उसकी भर्ती करना, आश्रय देना, परिवहन करना, भोजन कराना या प्राप्त करना।

मानव समगललग को लोगों को अमरीका में आप्रवास कानूनों से जान-बूझकर बचाकर लाने के रूप में परिभाषित किया जाता है। गैर-नागरिकों को संयुक्त राज्य में लाने के साथ-साथ गैरकानूनी तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाना और उनको गैर-नागरिकों के रूप में शरण देने को संयुक्त राज्य के कानून के अंतर्गत इस अपराध की श्रेणी में आता है।

य आपस में बदल जा सकने योग्य शब्द नहीं है

- **स्मगलिंग** परिवहन आधारित होती है
- **मानव तस्करी** शोषण आधारित होती है

सदिग्ध गतिविधियों की सूचना दें:

1-866-DHS-2-ICE (1-866-347-2423)

www.dhs.gov/bluecampaign

मानव तस्करी के संकेत

- ❑ क्या पीड़ित व्यक्ति के पास पहचान और यात्रा संबंधी दस्तावेज़ हैं; अगर नहीं, तो दस्तावेज़ किसके नियंत्रण में हैं?
- ❑ क्या पीड़ित को इस संबंध में सिखाया गया था कि कानून प्रवर्तन और आप्रवास अधिकारियों को क्या कहना है?
- ❑ क्या पीड़ित व्यक्ति के वेतन का उपयोग स्मगलिंग की फीस का भुगतान करने के लिए किया जा रहा है? (केवल स्मगलिंग फीस का भुगतान करना मानव तस्करी नहीं माना जाता है।)
- ❑ क्या पीड़ित व्यक्ति को सेक्स संबंधी काम करने के लिए मजबूर किया गया था?
- ❑ क्या पीड़ित व्यक्ति को कहीं आने-जाने की आज़ादी है?
- ❑ क्या पीड़ित व्यक्ति द्वारा भागने का प्रयास करने पर पीड़ित व्यक्ति या परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई है?
- ❑ क्या पीड़ित व्यक्ति को देश से निकालने या कानून प्रवर्तन की कार्रवाई की धमकी दी गई है?
- ❑ क्या पीड़ित व्यक्ति को नुकसान पहुँचाया गया है या भोजन, पानी, नींद, चिकित्सा देखभाल या जीवन की अन्य आवश्यकताओं से वंचित रखा गया है?
- ❑ क्या पीड़ित व्यक्ति मित्रों या परिवार से खुले तौर पर संपर्क कर सकता है?
- ❑ क्या पीड़ित व्यक्ति कारोबारी सेक्स में लगा हुआ किशोर है?
- ❑ क्या पीड़ित व्यक्ति को लोगों से मिलने-जुलने या सामूहिक पूजा-पाठ में भाग लेने की अनुमति है?

संदिग्ध गतिविधियों की सूचना दें: **1-866-DHS-2-ICE** (1-866-347-2423)

www.dhs.gov/bluecampaign

BC-IC1-HIN 07/14